21/09/2021

वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि हस्तगत प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व जारी स्थगन आदेश आगे नही बढाया जावे। साथ ही दौरान बहस निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी आबादी रूपान्तरित भूमि है। उक्त आराजी कृषि भूमि नही है। इस कारण से अपील हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नही होने के कारण अपील सारहीन है। अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज फरमाई जावे।

वकील अपीलांट द्वारा दौरान बहस निवेदन किया गया कि उक्त वादग्रस्त आराजी का भूरूपान्तरण हस्तगत प्रकरण पेश करने से पूर्व हुआ है। साथ ही हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट एकतरफा बनाई गई है। जिसमें अपीलांट अनुपस्थित रहा है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं दौरान उभयपक्षकारान की बहस से यह ज्ञात हुआ कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का आबादी रूपान्तरित होने के कारण उक्त की अपील हाजा न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार मे नही रही है। अतः हस्तगत प्रकरण क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारणं पत्रावली को मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो वाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

21/09/2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली